जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 02.12.2022

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामदः-

दिनांक 01.12.2022 को थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सागर मलिक पुत्र महिपाल निवासी ग्राम मौहल्ला दयानन्द नगर थाना कोतवाली जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सबंन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>**थाना कैराना**</u>

थाना कैराना पुलिस द्वारा गौकशी करते 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 32 किग्रा प्रतिबंधित पशु मांस एवं कटान करने के उपकरण बरामद।

दिनांक 01.12.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी एवं कटान की रोकथाम हेतु अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा गौकशी की सूचना पर छापेमारी की कार्यवाही कर 01 गौकश को मौके पर करीब 32 किग्रा प्रतिबंधित पशु मांस (जिसे पशुचिकित्सक द्वारा मौके पर ही दफना दिया गया) एवं कटान करने के उपकरण सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त का एक साथी भूरा मौके से फरार होने में कामयाब रहा जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.हाकम अली पुत्र जहूरा निवासी ग्राम बरनावी थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

1.प्रतिबंधित पशु मांस 32 किग्रा (जिसे पशु चिकित्सक द्वारा मौके पर ही दफना दिया गया)।

2.कटान करने के उपकरण (छुरा, दाव, तराजू, बांट आदि)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री गौतम सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

2.का0 रजनीश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 राजीव कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में शामली पुलिस द्वारा अवैध चाकू रखने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

1. वर्ष 2022 में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अभियुक्त सावेज उर्फ मुट्टा पुत्र स्व0 नसीर निवासी देवता वाली गली सरवर पीर थाना कोतवाली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर **मु0अ0सं0 345/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में अभियोग** पंजीकृत किया गया था, जिसमें आज दिनांक 02.12.2022 को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा अभियुक्त सावेज उपरोक्त को **सुनाई 04 माह के कारावास की सजा व 500/- रूपये के अर्थदंड से** दंडित किया गया है। अर्थदंड न अदा करने पर 07 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.सावेज उर्फ मुट्टा पुत्र स्व0 नसीर निवासी देवता वाली गली सरवर पीर थाना कोतवाली जनपद शामली।